

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जनगणना कोषांग)



अधिसूचना

संचिका संख्या:- जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025...../रा0,दिनांक-.....

केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2027 में देशव्यापी जनगणना कार्य संपादित किया जाना अधिसूचित किया गया है और भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है।

जनगणना नियमावली, 1990 के नियम-8 (v) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में निदेशक, जनगणना कार्य, बिहार तथा अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को **State Nodal Officer for Census-2027** अधिसूचित किया जाता है।

बिहार सरकार के अपर सचिव

ह0/-

(आजीव वत्सराज)

अपर सचिव।

ई-मेल

संचिका संख्या:- जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025.../रा0, दिनांक:-05/3/2026

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सभी विभागध्यक्ष/भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना भवन, 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011/निदेशक, जनगणना कार्य-सह-नागरिक निबंधन, बिहार, 8वाँ तल सी0-जी0 ब्लॉक कर्पूरी सदन, आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला जनगणना पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी नगर निगम के प्रशासक/सभी नगरपालिका के कार्यपालक, विशेष पदाधिकारी/सभी अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सभी छावनी बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।